राजस्थान सरकार
सामाजिक न्यय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 9 (4) ( )आवेदन पत्र/छात्र/सान्याअवि/09-10/ 76018-51 जयपुर, दिनांकः 10/11/17

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : वर्ष 2017-18 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप भिजवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। वर्ष 2017-18 में छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन किये जाने वाला आय प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में ही होने पर ही विद्यार्थियों की छात्रवृति स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 9 (4) ( )आवेदन पत्र/छात्र/सान्याअवि/09-10/ 76052 जयपुर, दिनांकः 10/11/17

प्रतिलिपि : एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आय प्रमाण पत्र के प्रारूप को ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल पर वर्ष 2017-18 हेतु अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Education News Group

आय का घोषणा पत्र

(पिता / माता / पति / पत्नी / संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में वर्ष 2017–18 के लिए

प्रारूप भाग–I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता / माता / पति / पत्नी / संरक्षक) का नाम..पिता / पति का नाम श्री......................................आयु........वर्ष........माह ....
2. निवास स्थान का पूर्ण पताः– ....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (50 हजार रूपये से अधिक की छात्रवृति के लिए) ....(जो स्पष्ट अंकित हो) (बीपीएल को छोड़कर)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर ....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर ....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का मोबाईल नम्बर ....
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः– (**सम्बधित पर चिन्हित करें**, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(....................) आदि से आयः रू.		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू. .....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आयः रू..		(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आयः रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.		कुल वार्षिक आयः रू. ....

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक................................

हस्ताक्षर...
आय की घोषणा करने वाले का नाम ....
मय विद्यार्थी से सम्बंध ....

प्रारूप भाग–II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राथियॉ.......................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी..को भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्रार्थियॉ के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति

(2) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति

(पद नाम मय दिनांक एवं मो.न.)

(पद नाम मय दिनांक एवं मो.न.)

नोट :–(उत्तरदायी व्यक्ति यथा–संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद सदस्य / सरपंच / वार्ड पंच / महापौर / उप महापौर / नगर निगम / नगर पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद / वार्ड मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III (शपथ –पत्र)

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू..............अक्षरे रू. ....है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्व उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) ....पिता / पति का नाम .... आयु.....................निवासी..ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर